[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 41/2021-सीमाशुल्क(एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि रूस (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/47/2020-डीजीटीआर, दिनांक 12 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 12 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया था।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 388 (अ), दिनांक 3 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 31 अक्तूबर, 2021 तक (जिसमें यह तारीख भी शामिल है) बढ़ा दिया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में अंक, अक्षर और शब्द “31 अक्तूबर, 2021” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “30 नवम्बर, 2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/17/2021-टीओ(टीआरयू-।)-सीबीईसी]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016 को सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 32/2201-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 388 (अ), दिनांक 3 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।